

25.6.18

पञ्जाली डाक केम्प कोर्ट वाम लारा में पेडाडुडी।
श्याम दुकमपुरा की सरहद में स्थित ग्राम खान 353
क 356 किरा - 2 कुल रकबा 5.79 है. बादीगण
स्वं प्रतिवादी के - 1 व 2 की संयुक्त शकतेदार
ग्रामि है तथा ग्रामि का विधिवत विभाजन नहीं
हो रहा है। धारा 53 के प्रावधान अनुसार स्व
रिपोर्ट शकतेदार राजस्व रिपोर्ट में वर्ष 1818 से
के अनुसार विभाजन करवाने का अधिकारी है
वाफपम स्वीकार किया जाका उचित व न्यायोक्ति
उतिल ठेका है।

Handwritten signatures and initials on the right margin.

कार्रवा

वाफपम स्वीकार किया जाका है तथा आयुक्त
डिप्टी डक आशय की ही जाती है कि श्याम दुकमपुरा
की सरहद में स्थित ग्राम खान 353 व 356
किरा 2 कुल रकबा 5.79 है. बादीगण
स्वं प्रतिवादी के - 1 व 2 का राजस्व रिपोर्ट में
वर्ष 1818 से स्वं करवा के अनुसार शकतेदार
प्रावधान शकते हुए विधिवत विभाजन किये
जाने का कार्रवा किया जाका है। तदनुसार तदगी, वदर
उदयपुरवादी उदय पक्षों की उपस्थिति में विभाजन
प्रस्ताव तैयार करें तथा मय नदशा के दो प्रतिमा
में न्यायालय हाका में प्रस्तुत करें। डिप्टी पक्षी
जारी हो।

पञ्जाली जैसल मुकाम से कर कम्पन के काम हो
तथा हासिल उपलब्ध हो।

निर्णय डाक दिनांक 25.6.18 को केम्प कोर्ट
जामेका में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डरवादी (काम)